

R 44 I/96

रघुनाथ पिता बड़ीप्रसाद साहू

---- प्राया .

विस्व :

चांद सां पिता न अब्दुल रहमान

---- प्रतिप्राथी .

आवेदन पत्र धार्यना-पत्र धारा ५२ म०प्र०म०रा०संज्ञिता .

17.6.2015

आवेदक की ओर से श्री बी.के.के.
 गुप्ता आयोगीयक एवं आपत्तिकर्ता की
 ओर से श्री ए.के.के. मिश्रा आयोगीयक
 उपाध्यक्ष । आपत्तिकर्ता के आयोगीयक
 द्वारा बताया गया कि आवेदक की
 मृत्यु लगभग 5 वर्ष पूर्व हो चुकी है,
 और न तो उनके वारिसों को अर्पण
 पर किया गया है, और न ही
 वारिसों द्वारा प्रमाण में सबूत
 गई है, ऐसी स्थिति में सूचना
 पत्र जारी नहीं कर विगत निरस्त
 कला चाहिए । आवेदक के आयोगीयक
 द्वारा सहमति ही गई। अतः विगत
 अर्पण होने से निरस्त की जाती है।

[Signature]
 138

[Signature]
 अध्यक्ष